



## ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण पर लगी रोक

### चर्चा में क्यों ?

- ❖ भारत के मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड की अगुवाई वाली पीठ ने वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें ASI को मस्जिद परिसर का "वैज्ञानिक" सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था।

### पृष्ठभूमि

- ❖ कथित तौर पर मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने के बाद औरंगजेब द्वारा 17वीं शताब्दी में मस्जिद बनाई गई थी।
- ❖ हालिया मुकद्दमें में 5 हिंदू महिलाओं के एक समूह द्वारा मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार पर देवी श्रृंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार मांगा गया था।
- ❖ यहाँ प्रश्न उठा कि क्या पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के अनुसार मस्जिद परिसर के भीतर स्थित देवता की पूजा करने के अधिकार के लिए अदालत की मंजूरी आवश्यक है।
- ❖ यह मामला मजिस्ट्रेट की अदालत से जिला अदालत, इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय और फिर वापस जिला अदालत में चला गया है।

### क्या था वाराणसी कोर्ट का आदेश?

- ❖ वाराणसी जिला अदालत ने ASI द्वारा मस्जिद परिसर की "वैज्ञानिक जाँच/सर्वेक्षण/खुदाई" की मंजूरी प्रदान की थी।
- ❖ अदालत ने ASI को "पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या वर्तमान संरचना का निर्माण किसी हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना के ऊपर किया गया है", और "इमारत में पायी गयी सभी कलाकृतियों की एक सूची तैयार करें, जिसमें उनकी सामग्री निर्दिष्ट हो तथा निर्माण का समय और प्रकृति का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जाँच करें, ताकि डेटिंग का पता लगाया जा सके"।

## कोर्ट ने इस मामले को कैसे लिया?

- ❖ वाराणसी जिला अदालत का आदेश हिंदू महिलाओं द्वारा देवी श्रृंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार माँगने के लिए दायर सिविल मुकद्दमे पर देखने को मिला था।
- ❖ अदालत ने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण में **वुजू खाना या स्नान क्षेत्र** को शामिल नहीं किया जाएगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया था।
- ❖ सर्वेक्षण कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाए और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। वाराणसी जिला अदालत के द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद ASI सर्वेक्षण के लिए वर्तमान याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की गयी थी।
- ❖ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने "शिवलिंग" की कार्बन डेटिंग सहित "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" का आदेश दिया।

## सुप्रीम कोर्ट का प्रवेश?

- ❖ पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त, 1947 से अस्तित्व में लाने से रोकता है। इस कानून का एकमात्र अपवाद रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर था, जो उस समय लागू था।
- ❖ वाराणसी अदालत द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया में 1991 के अधिनियम के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार "किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना 1991 के अधिनियम द्वारा वर्जित नहीं है।
- ❖ 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक मुसलमानों के वहाँ पहुंचने और नमाज अदा करने के अधिकारों को बाधित या प्रतिबंधित किए बिना, ज्ञानवापी परिसर के उस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए अपने अंतरिम निर्देश को बढ़ा दिया, जहाँ "शिवलिंग" पाए जाने का दावा किया गया था।
- ❖ **अधिनियम, 1991**, की धारा 4 में कहा गया है कि "15 अगस्त, 1947 से मौजूद पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा, जो उसके निर्माण के दिन मौजूद था"। अधिनियम में अयोध्या स्थल के लिए अपवाद था। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार यह अधिनियम राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले या उससे संबंधित किसी भी मुकद्दमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।
- ❖ **मुस्लिम पक्ष-** वर्तमान मुकद्दमे की अनुमति देने से मस्जिद का चरित्र बदल जाएगा क्योंकि यह 600 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है।
- ❖ **हिंदू याचिकाकर्ताओं का पक्ष-** 1993 तक, मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू देवी-देवताओं की नियमित प्रार्थना की जाती थी और 1993 के बाद से, सालाना एक निर्दिष्ट दिन पर प्रार्थना की अनुमति दी गई है।
- ❖ हालिया अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो कि संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, "मनमाने ढंग से तर्कहीन पूर्वव्यापी कटऑफ तिथि" लागू करता है और हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों के धर्म के अधिकार को कम करता है।